भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5590

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

आईआईसीए

5590. श्री राजेन्द्र अग्रवालः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या कुछ वर्षों से आईआईसीए को आबंटित धनराशि में कमी की गयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या आईआईसीए को स्व-संवहनीय होना चाहिए और संस्थान द्वारा कौन से राजस्वोन्मुखी कार्यकलाप शुरू किए गए हैं, ताकि इसे स्व-संवहनीय बनाना सुनिश्चित किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) से (ग): सरकार ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) को निम्नलिखित धनराशि प्रदान की है:-

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17
दी गई राशि	16.69	14.90	10.00

संस्थान की बढ़ती हुई राजस्व सृजन क्षमता के साथ सरकारी सहायता की आवश्यकता कम हो गई है।

(घ): जी, हां। सरकार का विचार विभिन्न अल्पकालिक/दीर्घकालिक क्षमतानिर्माण कार्यक्रम, अनुसंधान परियोजनाएं, कंपनी विधि के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, कारपोरेट शासन, प्रतिस्पर्धा कानून एवं बाजार नियमन, कारपोरेट डाटा प्रबंधन, कारपोरेट सामाजिक दायित्व और सुस्थिरता में अल्पकालिक कार्यकारी विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके राजस्व का सृजन करने वाले कार्यकलापों के माध्यम से आईआईसीए को आत्मनिर्भर बनाने का है।

*****